संख्या–म.नि.म./C-3502/79–6–2015

प्रेषक,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 06 जुलाई,2015

विषय–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय उनके निजी बैंक खाते में प्रेषित किये जाने संबंधी।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–264/79–6–2012 दिनांक 13 अप्रैल,2012 (प्रति संलग्न) द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को प्रत्येक माह की 10 तारीख को नियत मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अवगतार्थ है कि शासनादेश संख्या–1233/79–6–10 दिनांक 12 नवम्बर,2010 द्वारा वर्तमान में मध्यान्ह भोजन निधि के नाम से प्रत्येक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन के संचालन हेतु मध्यान्ह भोजन निधि के नाम से पृथक खाते खोले गये है। जिसमें योजनान्तर्गत प्राप्त परिवर्तन लागत, रसोइये का मानदेय, किचेन उपकरण, किचेन शेड निर्माण, एम0एम0ई0 आदि की धनराशि रखी जाती है।

उपरोक्त निर्देशों के बावजूद संज्ञान में आया है कि रसोइयों का मानदेय ससमय उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभिन्न रसोइया संघों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि कर शासन को रसोइयों का मानदेय सीधे उनके खाते में भेजे जाने हेतु ज्ञापन दिये गये है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्देश जारी किये जाते है :–

1. विद्यालय स्तर पर एम0डी0एम0 संचालन हेतु खाता धारकों द्वारा सम्बन्धित बैंक को स्थाई निर्देश दिये जाय कि बैंक द्वारा संसूचित कार्यरत रसोइया के बैंक खाते में मानदेय की राशि वर्ष में कुल 10 माह तक प्रत्येक माह की 01 तारीख को अंतरित कर दी जाय। ऐसे मामलों में जहॉ रसोइयों के खाते किसी अन्य बैंक में हैं तो NIFT के माध्यम से अंतरित कर दी जाय।

2. यथा–सम्भव प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत रसोइयों का खाता उसी बैंक में खुलवाया जाय, जिस बैंक में विद्यालय के मध्यान्ह भोजन निधि का खाता खुला हो।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रसोइयों के चयन होने के पश्चात तत्काल निर्देश जारी करेगें कि ग्राम प्रधान/वार्ड सभासद/अध्यक्ष–विद्यालय प्रबंध समिति

एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से सम्बन्धित बैंक को यह लिखित स्थाई निर्देश (प्रारूप संलग्न) प्रदान किया जाय कि प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को विद्यालय में कार्यरत रसोइयों का निर्धारित मानदेय मध्यान्ह भोजन निधि के खाते से सम्बन्धित रसोइयों के खातों में ई0सी0एस0 के माध्यम से अन्तरित कर दी जाय।

4. अभिलेखीकरण हेतु पृथक से एक रजिस्टर भी तैयार किया जाय, जिसमें समस्त रसोइयों को मानदेय दिये जाने का सम्पूर्ण विवरण बैंक पासबुक के आधार पर अंकित किया जाय।

5. माह में विद्यालय में रसोइयों के अनुपस्थित होने/कार्य से हटाये जाने की स्थिति में उनके खाते में अन्तरित की जाने वाली धनराशि में परिवर्तन संबंधी लिखित निर्देश खाता धारको द्वारा बैंक एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को दी जायेगी। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त की जॉच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा संकलित सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिमाह उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए रसोइया मानदेय उनके निजी बैंक खाते में प्रत्येक माह की 01 तारीख तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–प्रारूप

भवदीय,

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

संख्या–264 / 79–6–2012

प्रेषक,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल, 2012

विषय–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत् रसोईयों को प्रत्येक माह की नियत तिथि पर मानदेय भुगतान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति / राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कम मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 10.01.2012 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में यह अपेक्षित है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत् रसोईयों को प्रत्येक माह की 10 तारीख को नियत मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।

उपरोक्त व्यवस्था हेतु यह भी आवश्यक होगा कि संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में कार्यरत् रसोईयों हेतु उपरोक्त नियत तिथि से पूर्व ही विद्यालय के मध्यान्ह भोजन निधि खाते में मानदेय की धनराशि अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

अतः रसोईयों के मानदेय भुगतान हेतु उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

12.4.12

(सुनील कुमार)
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्याः /79–6–2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।
2– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
सचिव ।

vkv

संख्याः 1233/79–6–10

प्रेषक,

अनिल संत
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 12 नवम्बर, 2010

विषयः ग्रामीण क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन के संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय में "मध्यान्ह भोजन निधि" के नाम से पृथक खाता खोला जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/492/2010–11 दिनांक 17–5–2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर खोले गये ग्राम निधि खाता संख्या–5 (मिड–डे–मील) के स्थान पर मध्यान्ह भोजन निधि के नाम से पृथक खाता खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्याः 515/33–9–2007–70/2007 दिनांकः 11 अप्रैल, 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायत स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना हेतु ग्रामनिधि खाता संख्या–5 (मिड–डे मील) खोला गया है। जिसमें मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राप्त परिवर्तन लागत की धनराशि रखी जाती है। उक्त खाते का संचालन सम्प्रति ग्राम प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। सामान्यतः एक ग्राम पंचायत सचिव द्वारा 4–5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखे जाने तथा दूसरी मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयवार एकाउन्टिंग की आवश्यकता होने के कारण योजना के संचालन में स्थानीय स्तर पर कठिनाई अनुभव की जा रही है। इस सम्बन्ध में योजना के सुचारू संचालन हेतु मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धी भारत सरकार के प्रथम ज्वाइंट रिव्यू मिशन ने अपनी रिपोर्ट में प्रत्येक विद्यालय स्तर पर "मध्यान्ह भोजन निधि" का खाता खोले जाने तथा इसका संचालन ग्राम प्रधान एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3. अतः श्री राज्यपाल महोदय मध्यान्ह भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना हेतु पृथक खाता खोले जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं। यह खाता "मध्यान्ह भोजन निधि" कहलायेगा। इस खाते में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राप्त परिवर्तन लागत, रसोइये का मानदेय, किचेन उपकरण, किचेन शेड निर्माण, एम0एम0ई0 आदि की धनराशि रखी जाएगी तथा ग्राम निधि में अवशेष परिवर्तन लागत की धनराशि एवं ग्राम शिक्षा समितियों के खाते में उपलब्ध मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धी धनराशि मध्यान्ह भोजन निधि में तत्काल स्थानान्तरित कर दी

जाएगी। मध्यान्ह भोजन योजना के अतिरिक्त अन्य किसी योजना की धनराशि इस खाते में नहीं रखी जाएगी ।

4– उक्त खाते का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। यह सभी खाते समीपस्थ सी0बी0एस0 ब्रांच में ही खोले जायेगें, जिससे जनपद स्तर से भेजी गयी धनराशि तत्काल सम्बन्धित खाते में उपलब्ध हो सके। इस खाते में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु रखी जाने वाली विभिन्न मदो की धनराशि का लेखा–जोखा मदवार पृथक–पृथक रखा जायेगा । इस प्रकार खोले गये खातो का नियमित रख–रखाव, बैंक से लेन–देन का मिलान एवं आडिट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।

5– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय संख्या–ई–11–2247 /दस–2010 दिनांक 11–11–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

12/11/10

(अनिल संत)
सचिव

संख्याः 1233(1)/79–6–10 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ ।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0 ।
8. मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

प्रारूप

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

.....

.....

जनपद–

विषय–प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के मध्यान्ह भोजन निधि–बचत खाते से रसोइया मानदेय की धनराशि अंतरित किए जाने हेतु स्थाई निर्देश।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना का बचत खाता संख्या–.....आपकी शाखा में संचालित है। इस बचत खाते के संचालन के संबंध में आपसे अनुरोध है कि मध्यान्ह भोजन निधि खाते से रसोइया मानदेय की धनराशि जबतक अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्रिम निर्देश नहीं दिये जाते तबतक निम्नलिखित विवरण के अनुसार विद्यालय में कार्यरत रसोइया का मानदेय प्रत्येक माह की 01 तारीख को अंतरित/ एन0आई0एफ0टी0 द्वारा प्रेषित करने का कष्ट करें :–

क0सं0	रसोइया का नाम व पता	बैंक एवं आई.एफ.एस. सी. कोड	खाता संख्या	मानदेय की अवधि कब से कब तक		अभ्युक्ति
				कब से	कब तक	माह ....., 2015 से .....,2016 तक
1						
2						
3						

उक्त स्थाई निर्देश अग्रिम निर्देशों तक प्रभवी होगें।

प्रधानाध्यापक ग्राम प्रधान